भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1401

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

1401. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का झोडिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) झोडिया समुदाय को उक्त सूची में किस प्रक्रिया द्वारा शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या ओडिशा राज्य सरकार की कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी सिफारिश केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): ओडिशा राज्य सरकार से झोडिया समुदाय को ओडिशा की अनुसूचित जनजाति (अजजा) सूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को (25.6.2002 एवं 14.9.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों को तय करने की प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है और विधान (कानून) में संशोधन किया जा सकता है जिनकी संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा सिफारिश की गयी हो और उन्हें उचित ठहराया गया हो तथा इस पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सहमति प्राप्त की गई हो। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों के लिए प्रविधियों के अनुसार कुछ विशेष प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर एनसीएसटी द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

*****